न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 274/23 निर्णय दिनांकः– 24-03-2025
(जीसीएमएस संख्या 2023/342)

1. कुनाराम पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी 2 एमएसएम ए तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. किशनी देवी पत्नी भूराराम जाति जाट निवासी 2 एमएसएम ए तहसील पूगल जिला बीकानेर।
3. कान्ता पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी 2 एमएसएम ए तहसील पूगल जिला बीकानेर।
4. कोजाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी 2 एमएसएम ए तहसील पूगल जिला बीकानेर।
5. गुलाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी 2 एमएसएम ए तहसील पूगल जिला बीकानेर।
6. लिछमा पुत्री भूराराम जाति जाट निवासी 2 एमएसएम ए तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. सत्यनारायण पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी भादवा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. हरिराम पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) पूगल।

रेस्पोडेन्ट्स

4. झूमा पुत्री तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
5. दामी पुत्री तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
6. पूरा पुत्री तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
7. मोली पुत्री तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
8. शांति पुत्री तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
9. सोना पुत्री तारूराम जाति जाट निवासी रायमलवाली तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

गौण रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 21–12–2022
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सुरेश शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 21–12–2022 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थित मिडियम पेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 ता 9 की खातेदारी भूमि चक 2 एमएसएम के मुरब्बा नम्बर 221/26, 221/28 व 221/34, 221/35, 221/36, 221/51 में स्थित है। मुरब्बा नम्बर 221/36 के किला नम्बर 4 ता 7 व 14 ता 25 की 16 बीघा अनकमाण्ड भूमि के मिडियमपेच आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी जिस पर अपीलांट्स की भी वरियता बनती है। वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर संबंधित पटवारी द्वारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार की गई। उक्त रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य सह खातेदारों की वरियता तैयार करते हुए सभी के धारण की भूमि को स्पष्ट किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति स्पष्ट होते हुए भी वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट्स को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि–धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। मिडियम पेच आवंटन नियमों के तहत सभी चिपते काश्तकारों को नोटिस दिया जाना अपरिहार्य है जबकि अदालत मातहत द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि अपीलांट को भी आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य भूमि का आवंटन निलामी प्रकिया से होता जिससे राज्य सरकार को ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट्स की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हरीराम का सहमति पत्र सलंग्न है जबकि हरिराम अपीलांट्स के साथ में सहखातेदार है एवं एकमात्र हरीराम के सहमति पत्र मात्र से अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन नहीं कर सकता था। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन मिडियम पेच आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया मिडियम पेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि चक 02 एमएसएम के मुरब्बा नम्बर 221/44 में स्थित होने के कारण उसी मुरब्बे के चिपते मुरब्बा नम्बर 221/36 के किला नम्बर 4 ता 7 व 14 ता 25 की 16 बीघा अनकमाण्ड भूमि मिडियम पेच आवंटन हेतु उपलब्ध होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 ए के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के धारण की भूमि वादगत् मुरब्बें के चिपते ही निहित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–12–2022 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 30–10–2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने चक 02 एमएसएम के मुरब्बा नम्बर 221/36 के किला नम्बर 4 ता 7 व 14 ता 25 की 16 बीघा अनकमाण्ड भूमि मिडियमपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजीरी नक्शें के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादगत् आराजी अपीलांट्स के मुरब्बें में निहित है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। जबकि अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य की भंली भांति जॉच नहीं की गई कि उक्त मुरब्बें में ही शेष भूमि अपीलांट के धारण की भूमि है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सहमति पत्र संलग्न है जो कि हरीराम के नाम से प्रस्तुत किया गया है। तहसील स्तर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन अराजी जिस मुरब्बे में स्थित है उसकी शेष खातेदारी भूमि हरीराम एवं अन्य 8 सहखातेदारों के नाम से अंकित भूमि रही है ऐसे में हरीराम केवल मात्र 1/9 हिस्सेदार है एवं हरीराम द्वारा सहमति प्रदान किया जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य चिपते काश्तकारों को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है एवं जो सार्वजनिक सूचना चस्पा की गई है उक्त सार्वजनिक सूचना के पुश्त पर भी हरीराम के ही हस्ताक्षर अंकित है जिससे समस्त चिपते काश्तकारों की सम्यक तामील नहीं माना जा सकता है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–12–2022 उपखण्ड अधिकारी, पूगल निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है वे अपीलांट व अन्य काश्तकारों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24-03-2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर